तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– निगरानी / एलआर / 2017 / 7106 / झुंझनू **फूलचन्द उर्फ रामेश्वरलाल बनाम सरकार** **2– निगरानी / एलआर / 2017 / 7108 / झुंझनू** **जगदीश बनाम सरकार** **3– निगरानी / एलआर / 2017 / 7109 / झुंझनू** **राधेश्याम बनाम सरकार**	

एकलपीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री श्याम बाबू पारीक, अभिभाषक प्रार्थी
श्री घनश्याम चारण, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

––

दिनांक : 05 जनवरी, 2021

आदेश

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 28–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– इन तीनों प्रकरणों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने के कारण इनकी बहस एक साथ सुनी गयी तथा इनका निस्तारण भी एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, नवलगढ़ ने आराजी खसरा नम्बर–1912 रकबा .10 हैक्टेयर अर्थात 1000 मीटर भूमि के संबंध में से कुछ भूमि के संबंध में आदेश प्रदान किया है व जिसकी अपील होने पर जिला कलेक्टर, झुंझनू ने समपर्णनामें को विधि विरूद्ध माना है एवं विवादित भूमि सिवायचक नहीं मानकर धारा–91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत में तहसीलदार की आज्ञा निरस्त की है। उक्त आदेश के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– निगरानी / एलआर / 2017 / 7106 / झुंझनू **फूलचन्द उर्फ रामेश्वरलाल बनाम सरकार** **2– निगरानी / एलआर / 2017 / 7108 / झुंझनू** **जगदीश बनाम सरकार** **3– निगरानी / एलआर / 2017 / 7109 / झुंझनू** **राधेश्याम बनाम सरकार**	
	विरूद्ध सरकार जर्ये भूमिधारी द्वारा कोई अपील नहीं की गई है व रेस्पोन्डेन्ट ग्यारसीलाल द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर न्यायालय में की जिसे उन्होंने रेस्पोन्डेन्ट ग्यारीलाल को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देने की आज्ञा प्रसारित की है। स्वयं रेस्पोन्डेन्ट ग्यारसीलाल ने प्रार्थीयान के पूर्व हकधारी अनवर व रहीसा के विरूद्ध दावा स्थाई निषेधाज्ञा माननीय सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ में पेश किया। दावे व दावे के मद नम्बर–1 में उसका कहना है कि इससे अनवर व रहीसा का कोई संबंध नहीं है एवं उक्त भूमि में गुवाडी मकानात दुकाने बनी हुई है एवं उसके साथ विवादित भूमि का नक्शा भी पेश किया। उक्त वाद में दिनांक 6–11–1997 को तनकी नम्बर 1 व 2 बनी व दोनों तनकियात वादी ग्यारसीलाल के विरूद्ध तय की गयी। उक्त निर्णय व डिक्री किसी भी अदालत द्वारा निरस्त नहीं की गई हैं। उक्त प्रकरण से रेस्पोन्डेन्ट ग्यारसीलाल ने दावा नम्बर–2/98 ग्यारसीलाल बनाम गफूर पेश किया क्योंकि गफूर ने इसे क्रय कर लिया था। दिनांक 28–2–1998 को दावा खारिज कर दिया गया। विवादित भूमि कभी भी काश्त नहीं की गई व भूमि में मकानात, गुवाड़ी, दुकानात आदि होना व फूलचन्द पिता ग्यारसीलाल द्वारा विक्रय करना व उक्त गुवाड़ी दुकानात आदि फूलचन्द द्वारा बनाना स्पष्ट है तथा विवादित भूमि कभी भी काश्त भूमि नहीं रही, बल्कि उक्त भूमि रिहायशी व व्यावसायिक उपयोग की है एवं उक्त भूमि लगभग 70 वर्ष से भी अधिक समय से कभी काश्त नहीं हुई है। ग्यारसीलाल दास्तावेजों में गुवाड़ी, मकानात, दुकानात होना कहता है व समर्पणनामें में सार्वजनिक उपयोग कहता है, जो विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि की मौके की स्थिति मय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी / एलआर / 2017 / 7106 / झुंझनू** **फूलचन्द उर्फ रामेश्वरलाल बनाम सरकार** **2– निगरानी / एलआर / 2017 / 7108 / झुंझनू** **जगदीश बनाम सरकार** **3– निगरानी / एलआर / 2017 / 7109 / झुंझनू** **राधेश्याम बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फोटो के मंगवाया जाना आवश्यकीय हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार, नवलगढ़ या कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वास्तविक स्थिति मंगवाये जाने की आज्ञा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है। 4– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में सही निर्णय करने के लिये मौके की सही रिर्पोट मंगवाया जाना आवश्यक है। इसलिये तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वर्तमान स्थिति मंगवाई जानी चाहिये जिससे प्रकरण में मौके की स्थिति के अनुसार सही निर्णय पारित किया जा सके। 6– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रकरण निगरानी का विचाराधीन है और निगरानी में सीमित बिन्दुओं पर ही निर्णय किया जाता है। इस स्तर पर मौका रिपोर्ट मंगवाना न्यायसंगत नहीं है। निचली अदालतों की पत्रावलियां आ चुकी हैं। मौका रिपोर्ट मंगवाकर कोई और दस्तावेज तैयार नहीं किया जा सकता है। अतः धारा–151 सीपीसी प्रार्थना पत्र आधारहीन व सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। 7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 8– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आराजी खसरा नम्बर–1912 रकबा 0.10 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत 2066–69 के अनुसार ग्यारसीलाल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>1– निगरानी / एलआर / 2017 / 7106 / झुंझनू</u> **फूलचन्द उर्फ रामेश्वरलाल बनाम सरकार** **<u>2– निगरानी / एलआर / 2017 / 7108 / झुंझनू</u>** **जगदीश बनाम सरकार** **<u>3– निगरानी / एलआर / 2017 / 7109 / झुंझनू</u>** **राधेश्याम बनाम सरकार**	
	पुत्र फूला कौम मीणा की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 का नोटिस जगदीश / मूलचन्द वगैरह को दिये गये हैं। मौका रिपोर्ट पहले से पत्रावली में संलग्न है। अब पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। 9– अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 जाप्ता दीवानी खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– निगरानी / एलआर / 2017 / 7106 / झुंझनू **फूलचन्द उर्फ रामेश्वरलाल बनाम सरकार** **2– निगरानी / एलआर / 2017 / 7108 / झुंझनू** **जगदीश बनाम सरकार** **3– निगरानी / एलआर / 2017 / 7109 / झुंझनू** **राधेश्याम बनाम सरकार**	